

# किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0

उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226003, भारत

## पैरामेडिकल विज्ञान संकाय

(के.जी.एम.यू. इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेज)

Email: [kipms@kgmcindia.edu](mailto:kipms@kgmcindia.edu)

Website: [www.kgmu.org](http://www.kgmu.org)




पत्रांक. 570KGMUIPMS/2024


दिनांक : 30/09/2024

### निर्देश

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा बैच 2024-25 की तृतीय काउंसलिंग में आवंटित के0 जी0 एम0 यू0 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि :-

- के0 जी0 एम0 यू0 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेज में प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 03.10.2024 से 05.10.2024 तक एवं दिनांक 07.10.2024 (प्रातः 09:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक) के0 जी0 एम0 यू0 के कलाम सेंटर के कक्ष संख्या-102 में सम्पन्न करायी जायेगी। उक्त सभी दिनों के लिए रिपोर्टिंग का समय प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक है।  
नोट: रविवार दिनांक 06.10.2024 को कार्यालय बन्द रहेगा।
- के0 जी0 एम0 यू0 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेज में समस्त पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की फीस ₹43,000.00 है, जिसमें से ₹24,000.00 (Deposited in UPSMF) घटाकर शेष ₹19,000.00 अभ्यर्थी द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट- "KGMU Institute of Paramedical Sciences" payable at Lucknow के पक्ष में देय होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा के0 जी0 एम0 यू0 की वेबसाइट [www.kgmu.org](http://www.kgmu.org) में पैरामेडिकल प्रवेश लिंक अथवा नीचे दिये गये QR Code द्वारा प्राप्त 2 हलफनामों को 10रु के नॉन-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित करा कर साथ लेकर आये, जिसे प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज/ जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी **Medical Fitness Certificate** लाना अनिवार्य है।
- समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण-पत्र (**Original**) लाना अनिवार्य है।
- समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों (Documents) की दो फोटो कापी (**2 Set of Xerox Copy**) एवं उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी में जमा की गयी धनराशि ₹24,000.00 की रसीद लाना अनिवार्य है।
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को जाति प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति प्रमाण-पत्र जो कि दिनांक 01 अप्रैल 2024 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए, लाना अनिवार्य है। इससे पूर्व का निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- EWS कोटे से प्रवेश लेने वाले छात्रों को **EWS Certificate** जो कि दिनांक 01 अप्रैल 2024 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए, लाना अनिवार्य है। इससे पूर्व का निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- Physical Handicap (PH)** कोटे से प्रवेश लेने वाले छात्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (**CMO**) द्वारा जारी किया गया **Disability Certificate (Original)** जिसमें विकलांगता प्रतिशत अंकित हो एवं 2 छाया प्रति लाना अनिवार्य है।



आज्ञा से,  
  
30/09/24.  
(प्रो. अनिल निश्चल)  
अधिष्ठाता